>

Title: Problems being faced by Banana growers in the country.

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): सभापति महोदय, आपने मुझे रावेर संसदीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मामला उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरा रावेर लोक सभा मतदान संघ महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में है जहां से पूरे देश को केला सप्लाई होता है। हर रोज पांच हजार मीट्रिक टन केला नार्थ इंडिया में आता है जिसमें सब राज्य हैं। दो महीने से वहां के केला उत्पादक किसान और व्यापारी परेशान हैं, जिसका कारण हैल्थ मिनिस्ट्री का एक कायदा है।

हैल्थ मिनिस्ट्री के एफडीए डिपार्टमेंट ने पीएफए एक्ट के अनुसार बनाना राइपेनिंग करने वाले सभी व्यापारियों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करना शुरू किया है। उनके सभी गोडाउन्स सील किए जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है और इसके पश्चात् व्यापारियों ने केले की खरीद बंद कर दी है। बनाना एक पेरिशेबल फ्रूट है, करोड़ों रूपए का बनाना आज किसानों के खेतों में खराब हो रहा है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहिए। इस एक्ट के अनुसार कैल्शियम कार्बाइड यूज करने पर बैन है, लेकिन हमारे व्यापारी एथिलीन और एथिफॉ यूज करते हैं जिन पर कोई बैन नहीं है। केन्द्र सरकार के ही कृषि मंत्रालय के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने 28 तारीख को एक क्लेरिफिकेशन दिया है कि एथिलीन और एथिफॉ यूज कर सकते हैं, लेकिन हैल्थ मिनिस्ट्री के एफडीए के अधिकारी इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हैल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों को इसकी सूचना मिलनी चाहिए और जो व्यापारी केले की प्राधिकृत (ऑथराईज्ड) राइपेनिंग करते हैं, उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उसे बंद करना चाहिए, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गयी है, उसे वापस लेना चाहिए, जिनको अरेस्ट किया गया है, उनको छोड़ देना चाहिए। यही मेरी मांग है।